

2021/210

अधिकारी

लय उपखण्ड

कठूमर जिला अलवर

11/2/2021

तारीख रजु.....

सचिन

बनाम

जौहरी वगैरा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------------------------------	---

वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायल ने शपथ पत्र नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है।

अतः अप्रार्थीगण जय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 1440/1713, वाके ग्राम रोनीजाथान तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात के सायलान के 2/9 हिस्से मे सामलात मे कार्य काश्तकारी करने में किसी प्रकार की व रुकावट/मजाहमज पैदा न करें तथा गैर सायजान नम्बर 4 नुमाईसी इकरारनामा के आधार पर आराजी मुतनाजा पर जवरन कब्जा न करे एवं काई निर्माण न कार्य न करें गैरसायल न0 1 आराजी मुतनाजा को किसी दीगर व्यक्ति को रहनव्य व मुन्तकिल न करें एवं गैर सायल न0 5 आराजी मुतनाजा से संबंधित वयनामा रहननामा या अन्य कोई दस्तावेज पेश न करें।

अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोई उज्र हो तो दिनांक 09.09.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 09.09.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

राशिक आदेश दिनांक 7/2/21

पत्री पालना में पत्रावली वाली

दिनांक 14/2/21



अलवर जिला अदालत
कठूमर (अलवर)

की धारणा में ...
दिनांक 17/5/24

17/5/24

पत्रावली पेश करी क्वील प्रार्थी उपस्थित
नही प्रार्थी क्वील प्रार्थी के हवा वा
प्रवाज टिकारु गरी कोई उपस्थित नही प्रार्थी
प्रार्थना पर 24 प्राण प्रार्थना हवा प्रार्थी
पक्षी के खारिज किया जाया है पत्रावली
कौशल सुगम होकर प्रार्थी के काम हो गुरु
वाद के सलाह रहे सुनाया

...
...
...